निर्णय ब–इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 35 / 2016 (म्युनिसपल अपील)

श्री सत्य साई ट्रस्ट, सत्य साई महिला कालेज, जवाहर नगर कच्ची वस्ती, जयपुर द्वारा सचिव श्री जे एन शर्मा ।

अपीलार्थी

बनाम

1. नगर निगम जयपुर, लाल कोठी, जयपुर द्वारा कमीश्नर ।
2. डिप्टी कमीश्नर, मोती डूंगरी जोन, सोफिया गर्ल्स स्कूल के पास, घाटगेट, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 121 राजस्थान म्युनिसपल्टीज अधिनियम 2009 विरूद्व मांग पत्र दिनांक 03.10.2012 एवं 05.12.2012 नगर निगम जोन, मोती डूंगरी, जयपुर।

उपस्थित :–

1. श्री वैभव कासलीवाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.02.2023

1– संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 तत्पश्चात एक्ट 2009 के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा नगरीय विकास कर हेतु जारी मांग पत्र दिनांक 03.10.2012 व 05.12.2012 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पीटीशन नम्बर 9901 / 2014 निर्णय दिनांक 19.10.2016 के निर्देशानुसार यह अपील पेश की गई है।

2– अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट 1 व 2 की ओर श्री खेमचन्द शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा, जवाब व लिखित बहस पेश की। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री तीर्थनारायण शर्मा ने उपस्थित होकर पैरवी हेतु नगर निगम का अभिभाषक पत्र पेश किया। तत्पश्चात नगर निगम की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3– बहस एक पक्षीय सुनी गई।

4– अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी श्री सत्य साई ट्रस्ट राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट है जो राजस्थान पब्लिक चैरिटबल ट्रस्ट अधिनियम 1959 के तहत वर्ष 1974 से ट्रस्ट के नाम से वर्ष 1973–74 से जयपुर शहर जवाहर नगर कच्ची वस्ती के पास सत्यसाई कालेज महिला महाविद्यालय चला रहा है। कालेज चलाने के लिए ट्रस्ट को वन विभाग द्वारा 1973–74 में जमीन आवंटित की गई थी। अपीलार्थी ट्रस्ट शिक्षा व धर्मार्थ गतिविधियां चलाता

जिला कलक्टर
जयपुर

है। अपीलार्थी राज्य सरकार से ग्रान्ट इन एड भी प्राप्त करता था। राज्य सरकार ने स्कूल एण्ड कालेज की ग्रान्ट बन्द कर दी । अपीलार्थी कालेज का कार्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अपीलार्थी कालेज का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। अपीलार्थी कालेज कमजोर बच्चे जो शिक्षा का व्यय उठाने में असमर्थ होते है, उनको छात्रवृत्ति देता है। इस तरह अपीलार्थी कालेज गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का सामाजिक कार्य करती है। इस विश्वास के साथ कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यवसाय या व्यापार नही है। अपीलार्थी कालोज हमेशा से ही भारत के चेरीटेबल एक्टीविटीज का हिस्सा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस तरह के कार्य को सराहा है। जयपुर नगर निगम प्रत्येक शिक्षण संस्थान को पहले से लेवी कर रहा था और अब वर्ष 2007 से शहरी विकास कर की मांग कर रहे है। नगर पालिका अधिनियम 1959 में शिक्षण संस्थान जो सोसायटी, ट्रस्ट एवं राज्य सरकार से पंजीकृत है, उनकी सम्पत्तियों पर कर लगाने से स्पष्ट रूप से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 107 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है, जिनमे बोर्ड द्वारा टैक्स नहीं लगाया जायेगा। विशेश रूप से प्रदान करता है कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि और भवन शिक्षा प्रदान करने के कर से मुक्त किया जाएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम राज्य सरकार कर्नाटका के मामले में एआईआर 1992 एस सी 1858 (1866) में उद्वृत किया गया है। भारतीय सभ्यता शिक्षा को एक पवित्रता के रूप में पहचानती है। मानव समाज में शिक्षण संस्थानों का प्रशासन एक धार्मिक माना जाता है और धमार्थ वस्तु भारत में शिक्षा कभी बिकी के लिए नहीं रही है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नीकृष्णन जे पी बनाम आन्ध्र प्रदेश ए आई आर 1993 एस सी 2178 (2180) में उद्वत किया गया है। एक शैक्षिक संस्थान शिक्षा की गतिविधि कर सकते है जो व्यापार व व्यवसाय कभी नहीं हो सकता है। राज्य सरकार ने परिपत्र कमांक एफ 8 (जी 327)नियम/एल.एस जी/95/6275 दिनांक 29.08.2007 से शहरी विकास कर लागू किया गया है। जिसमें आश्चर्य रूप से पूर्व के नियमों को समाप्त कर दिया गया । कर और देयता के निर्धारण की प्रकिया की अवधारण मूल्याकन के साथ साथ करदाता को आपत्तियां और उसको अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। धारा 107(4) के तहत शिक्षा के किया कलापों पर सम्पूर्ण कर मुक्त है। राज्य सरकार दूसरे परिपत्र संख्या पी .8(जी)(327) नियम/एलएसजी 1995/5513 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित भूमि की दर के आधार पर शहरी विकास कर का निर्धारण किया जायेगा। इसी नोटिफिकेशन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि आवासीय/बहु मंजिला/संस्थनिक/औद्योगिक/ कार्मिशियल इत्यादि हो सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पी 8(जी)(327)नियम/एलएसजी/995/5944 दिनांक 29.08.2007 जो भूमि भवन के विभिन्न सेटों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए "राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धरा 107 में छूट प्राप्त सम्पतियां" व चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियां (वाणिज्यक उपयोग सहित)। " अपीलार्थी आय कर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत रजिस्टर्ड है। जिसे स्पष्ट रूप टैक्स से मुक्त किया गया है। चेरीटेबल ट्रस्ट को सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत तरीके से बनाया गया है जो विवादित स्कूल सम्पत्ति है वह साफ तौर पर नगरीय विकास कर से मुक्त है, जैसा कि नगरपालिका अधिनियम 1959 व अधिनियम 2009,

जिला कलक्टर
जयपुर

नोटिफिकेशन 30.04.2002 एवं 29.08.2007 में बताया गया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से की जा रही कार्यवाही पूर्णतया गलत है। नोटिफिकेशन दिनांक 31.08.2015 से 29.08.2007 के नोटीफिकेशन को रद्द नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन दिनांक 31.08.2015 किसी पर भी पूर्व की तारीख से टैक्स की जिम्मेदारी नहीं थोप सकता है। दिनांक 31.08.2015 का नोटीफिकेशन चेरीटेबल उद्देश्य से छूट पर उपयोग नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन 31.08.2015 को रद्द करने के लिए रिट पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। चूंकि एक संवैधानिक न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में 31.08.2015 के नोटिफिकेशन पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। अपील के विधिक बिन्दुओं के समर्थन में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 107(4) उल्लेखित छूट प्राप्त सम्पत्तियां, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1959 में धारा 2(11) में पब्लिक ट्रस्ट की परिभाषा, अधिसूचना दिनांक 29.08.2007 जिसमें उल्लेखित है चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियां (वाणिज्यक उपयोग सहित), अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 जिसके द्वारा 2007 की उक्त अधिसूचना मे गैर विधिक रूप से 8 वर्ष पश्चात स्पष्टीकरण जारी किया गया है तथा भूतलक्षी प्रभाव से चेरिटेबल सम्पत्तियों की परिभाषा को बदला गया है। अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 जिसके द्वारा 2007 की उक्त अधिसूचना को विधिक रूप से अतिक्रमित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1990 SC 816 पी सी राजा रत्नम बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ देहली, 385 ITR SC 816 चीफ कमीश्नर ऑफ इनकम टैक्ट बनाम संत पीटर्स एज्यूकेशन सोसायटी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय डी बी इनकम टैक्स अपील नम्बर 302/2016 राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी बनाम डिपटी कमीश्नर इनकम टैक्स, माननीय ITAT न्यू देहली ITA Nos. 4554 /Del/ 2012 Jaycees Punlic School बनाम ITO रूद्रपुर व अन्य, चेरिटेबल उपयोग, शुल्क एकत्र करना और चरिटेबल गतिविधियों से अर्जित लाभ के संबंध में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पूर्व में दी हुई लाभ/छूट को विद्रो नहीं किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट 21 VST 386 आर.के. कार्पोरेशन बनाम कर्नाटका सरकार व अन्य, माननीय मद्रास हाई कोर्ट Writ Appeal No. 614/2005 Tvl Sakthi Masala (P) Ltd & Ors V/s Special Commissioner & Commissioner of Commercial Taxes & Ors, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट रिट पीटीशन नम्बर 6246/2017 अपोलो एनीमल मेडीकल ग्रुप ट्रस्ट जयपुर बनाम राजस्थान सरकार अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थी कालेज राज्य सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करता था। अनुदान सहायता प्राप्त होने के पश्चात प्राप्ति व देनदारिया इस प्रकार रही है–

Year Ending	Receipt	Expenses	Remark
31.03.2008	99,57,495	1,41,38,709	Excess expenditure of Rs. 42,41,214
31.03.2009	1,11,88,193	1,41,48,181	Excess expenditure of Rs 29,59,266
31.03.2010	1,11,27,135	1,40,74,636	Excess expenditure of Rs 29,47,501
31.03.2011	1,35,64,608	1,65,93,062	Excess expenditure of Rs 30,28,454
31.03.2012	55,33,549	53,04,439	Excess expenditure of Rs 2,29,110

जिला कलक्टर
जयपुर

31.03.2013	34,38,768	57,59,568	Excess expenditure of Rs 23,20,800
31.03.2014	40,31,215	35,42,704	Excess expenditure of Rs 4,88,511
31.03.2015	49,53,509	39,13,588	Excess expenditure of Rs 10,39,920

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिसा को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5– रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री खेम चन्द शर्मा द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया गया है की कि स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना संख्या 6275 निांक 29.08.2017 के अनुसार नगरीय विकास कर के नियम बनाये जाकर तुरन्त प्रभाव से लागू किये गये । इन नियमों के तहत अधिसूचना कमांक 5944 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार जिन सम्पत्तियों को नगरीय विकास कर के भुगतान से मुक्त किया गया है, उनमें से एक चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त वाणिज्यक/उपयोग सहित भी अंकित है। इसको आधार बनाते हुये ही शहरी सीमा में स्थित बडे बडे नामचीन स्कूलों व अस्पतालों आदि द्वारा अपनी सम्पत्तियों को चेरिटेबल ट्रस्ट बताते हुए कर मुक्त मानते हुए कर अदा नहीं किया जा रहा है। जबकि ये संस्था चेरीटेबल ट्रस्ट नहीं है। उक्त वर्णित नगरीय विकास के नियम तत्समय प्रभावी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 104 के साथ पठित धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये थे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 107 करारोपण से छूट से संबंधित है तथा धारा 107 (4) के अनुसार " धारा 104 के खण्ड(1) में विर्निष्ठ कर उन भूमि एवं भवनों के सम्बन्ध में वसूल नहीं किया जायेगा, जिन्हें एक मात्र सार्वजनिक पूजा स्थल या धार्मिक या दानार्थ (चेरीटेबल) प्रयोजन के काम लिया जाता हो, परन्तु शर्त यह है कि ऐसी भूमियां एवं भवनों को ऐसे करों के भुगतान से मुक्त नहीं किया जायेगा । यदि उसमें कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या उनमें कोई किराया या अन्य आय प्राप्त की जाती है, चाहे ऐसे किराये या आय को ऐसं सार्वजनिक पूजा स्थालों में या ऐसे धार्मिक या दानार्थ (चेरीटेबल) प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जाता हो या नहीं ।" वर्ष 2007 में नगरीय विकास कर प्रभावी होने से पूर्व 1959 के अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत ही गृह कर लिया जाता था । उस समय समस्त स्कूलों एवं अस्पतालो के द्वारा गृह कर भी अदा किया जाता था। किसी स्कूल अस्पताल आदि द्वारा चेरिटेबल ट्रस्ट बताते हुए कर मुक्त की मांग भी नहीं की जाती थी। नगरीय विकास कर से छूट प्राप्त सम्पत्तियों हेतु जारी अधिसूचना कमांक 5944 दिनांक 29.08.2007 में अंकित "चेरीटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों (वाणिज्यक उपयोग सहित) का हवाला देते हुये शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों आदि के द्वारा नगरीय विकास कर में छूट की वांछना की जाने लगी जबकि अधिनिमय 1959 की धारा 107(4) में छूट प्राप्त सम्पत्तियों का स्पष्ट अंकन है, जिसमे स्कूल, अस्पताल आदि लाभ अर्जन करने वाली संस्थाए शामिल नहीं है। अधिसूचना अधिनयम के प्रावधानों के ऊपर नही हो सकती

जिला कलक्टर
जयपुर

और अधिनियमो की मंशा साफ है । अत संस्थाओं द्वारा अधिसूचना की आड मे नगरीय विकास कर से छूट की वांछना अनुचित है । प्रथम बार वर्ष 2007 मे जारी अधिसूचना अनुसार चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पतियां (वाणिज्यक उपयोग सहित) अंकित किये जाने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई । चूंकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 107(4) कि अनुसार धार्मिक या दानार्थ को ही चेरिटेबल माना गया है। धार्मिक एवं दानार्थ प्रयोजनों हेतु किसी भी प्रकार से आय प्राप्त की जाती है तो अधिनियम अनुसार उनको भी कर मुक्त नहीं माना गया जबकि स्कूल व अस्पताल आदि भारी भरकम फीस वसूल करते है। ऐसे में उन्हें नगरीय विकास कर मुक्त कैसे माना जाता सकता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 की अधिसूचना में यह नहीं बताया गया कि किस किस प्रयोजनार्थ स्थापित चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि व भवन को नगरीय विकास कर से मुक्त रखा जावे ? ऐसे में वर्ष 2007 से ही राज्य सरकार को समय समय पर पत्र लिख कर मार्गदर्शन चाहा गया । जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 10140 दिनांक 31.08.2015 के अनुसार पूर्व अधिसूचना क्रमांक 5944 दिनांक 29.8.207 में वर्णित चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पतियां वाणिज्यक उपयोग सहित के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। जिसके अनुसार स्कूल अस्पताल आदि कर मुक्त के दायरे में नहीं आते है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 29.08.2007 की अधिसूचना के क्रम में ही जारी किया है ऐसे मे यह अधिसूचना वर्ष 2007–08 से ही प्रभावशील माना जाना नियमानुसार न्यायोचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण म्युनिसपल कार्पोरेशन ऑफ देहली बनाम चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आदि 1991 SCALE (2) 419 दिनांक 21.04.1992 में टैक्स के संबंध में चेरीटेबल ट्रस्ट को परिभाषित किया हुआ है जो कि उक्त अपील के निस्तारण मे प्रभावी है। वर्ष 2007–16 तक अधिसूचना संख्या 10140 दिनांक 31.08.2015 में वर्णित एवं 2016–17 से अधिसूचना संख्या 9356 दिनांक 24.08.2016 में वर्णित चेरिटेबल प्रयोजनार्थ स्थापित सम्पतियों को कर मुक्त मानते हुए शेष सम्पतियों यथा स्कूल अस्पताल आदि से नगरीय विकास कर वसूल किया जाना नियमानुसार है । अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावे ।

6. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7– राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 107–कर से छूट के संबंध में है। धारा 107- Exemption from taxation (4)The tax specified in clause (1) of section 104 shall not ne leviable respect of land buildings used solely as places of public worship or religious charitable purposes: (Explanation 1: Charitable purpose' includes relief of the poor, education or medical relief) इसके अनुसार चेरिटेबल उद्देश्य में गरीबों की मदद, शिक्षा व चिकित्सा मदद शामिल है। इसके अलावा अन्य संस्था/ट्रस्ट सभी करारोपण योग्य है। इस प्रकार जब अधिनियम में ही करारोपण के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया हुआ है, तो आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं माना जा सकता है। राजस्थान सरकार स्वायत शासन

जिला कलक्टर
जयपुर

विभाग जयपुर की अधिसूचना कमांक 10140 दिनांक 31.08.2015 जो वर्तमान में प्रभावी है, के अनुसार चेरिटेबल ट्रस्ट को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है " चेरीटेबल ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट को समझा जावेगा जिसका गठन चेरीटेबल गतिविधियों के प्रयोजनार्थ हुआ हो एवं वह राजस्थान राज्य में प्रवर्तत किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। चेरीटेबल प्रयोजन के तहत ऐसे किया कलाप माने जायेगे जो लाभ रहित सामान्य लोक प्रयोजनार्थ किये जावे जैसे धर्म, शिक्षा, स्वास्थय को बढावा देना, पशुकुरता निवारण, अनाधिक्य के लाभ, सुधार अथवा उन्नयन हेतु अथवा अन्य समरूप उद्देश्य।" चूंकि विवादित भूमि अपीलार्थी को कालेज चलाने के लिए वन विभाग द्वारा 1973–74 में आवंटित की गई थी। अपीलार्थी की ओर से सार्वजनिक प्रन्यास में रजिस्ट्रीकरण होने का देवस्थान विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से नगरीय विकास कर मांग पत्र के वर्ष में कहां–कहां चेरीटेबल के कार्य किये गये और कितनी गरीब बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई ? इस बावत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यहां तक कि ट्रस्ट के कालेज में कितनी बच्चिया पढती है, प्रत्येक बच्ची से कितनी फीस वसूल की जाती है और कितनी गरीब बच्चियों को निः शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भी नहीं बता पाये। नतीजन प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक प्रावधानान्तर्गत सत्य साई कालेज एक पंजीकृत ट्रस्ट जरूर है, जिसे चेरीटेबल संस्था/ट्रस्ट नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत नोटिस नहीं दिया गया है । इसके प्रत्युत्तर में नगर निगम की ओर से तत्समय जारी किये गये नगरीय विकास कर जमा कराने के सार्वजनिक नोटिस एवं व्यक्तिगत दिये गये मांग पत्र की फोटोप्रति पेश की गई है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसे रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 125 के तहत प्रासंगिक कर भूमि एवं भवन परिसर के स्वामी/प्रयोक्ता द्वारा संदेय है। ऐसा संदाय नहीं करने की स्थिति में शास्ती/ब्याज भी संदेय एवं उद्ग्रहणीय है। अपीलार्थी केवल मात्र आयकर अधिनियम के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी पत्रों के आधार पर नगरीय कर में छूट चाहता है। आयकर भारत सरकार द्वारा प्रोदभूत आयकर कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत लगाया एवं वसूल किया जाता है। नगरीय विकास कर स्थानीय निकाय द्वारा राज्य सरकार अनुमोदनान्तर्गत नगर निकाय के लिए जारी निर्देशों के तहत वसूल किया जाता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी नगरीय विकास कर से छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। नगर निगम जयपुर द्वारा अपीलार्थीगण को नगरीय विकास कर हेतु जारी मांग पत्र उचित एवं विधि सम्मत पाया जाता है। अतः हम अपीलाधीन मांग पत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना वाजिव नहीं समझते है। फलस्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर